राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–755/2010/जयपुर

मै0 एच.सी.एल. इनफाइनेट लि0
बी–30, ज्योति मार्ग, बापू नगर, जयपुर .....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वाणिज्यिक कर, वृत्त–ए, जयपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री विक्रम गोगरा,
अधिकृत अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से

श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 19.09.2016

निर्णय

1. अपीलार्थी फर्म द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), प्रथम वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 43/सीएसटी/ए/06–07 में पारित आदेश दिनांक 22.01.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–ए, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.03.2005 केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 9 सपठित राजस्थान बिक्री कर निधंनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 29(4) के तहत कायम कर व ब्याज रू. 2,89,556/– को यथावत रखा है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी फर्म द्वारा अपने दिल्ली व नोएडा के ब्रांच ऑफिस में रू. 20,15,925/– का स्टॉक ट्रांसफर किया। उक्त स्टॉक ट्रांसफर के समर्थन में **"एफ"** घोषणा पत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश दिनांक 02.03.2005 से इस राशि पर 10 प्रतिशत से कर व उस पर ब्याज आरोपित किया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी फर्म द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 22.01.2010 द्वारा अपीलार्थी फर्म की अपील अस्वीकार कर दी गई। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी फर्म द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गई है।

3. अपीलार्थी फर्म की ओर से उनके अधिकृत अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश

लगातार.....2

विधिसम्मत नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी फर्म को बिना सुनवाई के ही आदेश पारित कर दिया जो कि विधिसम्मत नहीं है। उनका अग्रिम तर्क था कि फर्म द्वारा **"एफ"** घोषणा पत्र दिनांक 18.08.2006 को ही प्रस्तुत कर दिये गये थे जो कि दिनांक 31.03.2010 से पहले देना था, फिर भी कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी फर्म के विरूद्ध कर व ब्याज का जो आरोपण किया था वह विधिसम्मत नहीं था। अपीलीय अधिकारी ने भी आरोपित मांग को यथावत रखने में विधिक भूल की है।

4. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों के बारे में बताया कि यदि **"एफ"** फार्म निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत कर दिए हैं तो अपीलीय अधिकारी का आदेश विधिसम्मत नहीं है।

5. मैनें उभयपक्षों की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया तथा उपरोक्त अधिसूचना का ससम्मान अध्ययन किया। फर्म द्वारा एक घोषणा पत्र दिनांक 18.08.2006 को ही प्रस्तुत कर दिये गये थे जो कि दिनांक 31.03.2010 से पहले देने थे। अपीलार्थी फर्म के विरूद्ध कर व ब्याज का जो आरोपण किया था वह विधिसम्मत नहीं था। अपीलीय अधिकारी ने भी आरोपित मांग को यथावत रखने में विधिक भूल की है। अतः अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को अपास्त किया जाता है। कर निर्धारण अधिकारी अपीलार्थी फर्म को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करें।

6. फलतः अपीलार्थी–फर्म द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है एवं अपील उपरोक्तानुसार कर निर्धारण अधिकारी को पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित कीं जाती है।

7. निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष